रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2015/माघ 24, 1936
No. 88] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2015 /MAGHA 24, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 91(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए :—

(i) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (कृषि एवं सहकारिता विभाग) (राजपत्रित) सहायक निदेशक (हिन्दी) और सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी समूह ख (राजपत्रित) भर्ती नियम, 2003 को, जहॉं तक उनका संबंध सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद से है;

(ii) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'क' और समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2009 को, जहॉं तक उनका संबंध प्रशासनिक अधिकारी के पद से है;

को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग के फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों में प्रशासनिक अधिकारी और सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी से संबंधित समूह 'ख' (राजपत्रित) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :——

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, प्रशासनिक अधिकारी और सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी समूह 'ख' (राजपत्रित) गैर–तकनीकी पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और, उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.–उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं, और उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.– वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रशासनिक अधिकारी.	3* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड – 2, 9300–34800 रूपये + ग्रेड वेतन 4600 रूपये	चयन	लागू नहीं होता.

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं,	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता.
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : वेतन बैंड–2, 9300–34800/– रूपये + ग्रेड वेतन 4200/– रूपये में ऐसे कार्यालय अधीक्षक और आशुलिपिक ग्रेड 1, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा प्रशासन, स्थापना और लेखा क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो. टिप्पण 1. प्रोन्नति के लिए अर्हक सूची अधिकारियों द्वारा उसी श्रेणी या पद पर निर्धारित अर्हक सेवा पूरी की तारीख से तैयार की जाएगी. टिप्पण 2. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम

न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3. प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड—2, 9300—34800 रूपये + ग्रेड वेतन 4200 रूपये या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है;

और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव हो:—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री;

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासन, स्थापना और लेखा कार्य का दो वर्ष का अनुभव.

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे. इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे.

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी).

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहॉं एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहॉं यह फायदा केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी.

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. संयुक्त सचिव (यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग —अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव (यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग —सदस्य; 3. अतिरिक्त आयुक्त (यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग —सदस्य; 4. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान —सदस्य.	अधिकारी को प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी.	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है.	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय.	वेतन बैंड — 2, 9300—34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4600 रुपये.	चयन	30 वर्ष से अधिक न हो (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है). टिप्पण: आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख

					जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्याख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है).

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्यः (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री; (ii) दो वर्ष का प्रौफेशनल अनुभव ऐसे पुस्तकालय में होना चाहिए जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत या कानूनी संगठन या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के अंतर्गत हो. वांछनीयः (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अनुसंधान या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा. टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, अहर्ताओं को, उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकता हैं. टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं, उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है.	आयु : नहीं. शैक्षिक अर्हताः मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री अवश्य प्राप्त की हो.	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिये दो वर्ष.	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) । दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा.

(11)
प्रोन्नति : वेतन बैंड–2, 9300–34800/– रूपये + ग्रेड वेतन 4200/– रूपये में ऐसे पुस्तकालय एवं सूचना सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो. टिप्पण 1. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो. टिप्पण 2. प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी. प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक

सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध—सरकारी संगठनों के कानूनी या और स्वायत्त निकायों से ऐसे अधिकारीः (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड—2, 9300—34800 रूपये + ग्रेड वेतन 4200 रूपये या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में विहित सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव हो. टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी). टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह फायदा केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. संयुक्त सचिव (यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव (यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — सदस्य; 3. अतिरिक्त आयुक्त (यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — सदस्य; 4. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान — सदस्य. समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. संयुक्त सचिव (यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव (यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — सदस्य; 3. अतिरिक्त आयुक्त (यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — सदस्य; 4. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान — सदस्य.	अधिकारी को सीधी भर्ती करते समय तथा प्रतिनियुक्ति आधार पर (लघु अवधि संविदा सहित) नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है.

[फा. सं. 13—4/2012—एम. एंड टी. (प्रशा.)]

बी. बी. भगत, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2015

G.S.R. 91(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the:—

(i) Farm Machinery Training and Testing Institute, (Department of Agriculture and Cooperation) Assistant Director (Hindi) and Assistant Library Information Officer, Group 'B' (Gazetted), Recruitment Rules, 2003, in so far as they relate to the post of Assistant Library and Information Officer,

(ii) Farm Machinery Training and Testing Institute, (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'A' and Group 'B' Gazetted posts Recruitment Rules, 2009, in so far as they relate to the post of Administrative Officer,

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Administrative Officer and Assistant Library and Information Officer in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Administrative Officer and Assistant Library and Information Officer Group 'B' (Gazetted) Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.– The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.– No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.–Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.–Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Administrative Officer.	3* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial.	Pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4600/-.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

(11)
Promotion: Office Superintendent and Stenographer Grade I in pay band-2 of Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/- with five years regular service in the grade and successfully completed training of two weeks in the field of administration, establishment and accounts. ***Note 1* :** The eligibility list for promotion shall be prepared with respect to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. ***Note 2* :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. ***Note 3* :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation : Officers under the Central or State Government or Union Territory Administration; (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years, service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-2 of Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/- or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experiences:

(i) Degree of a recognised University or Institute;

(ii) Two years experience in accounts, administration, establishment work in Central or State Government or Union Territory Administration.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including the period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2 : For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommended has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— (1) Joint Secretary (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture and Cooperation - Chairman; (2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture and Cooperation - Member; (3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture and Cooperation - Member; (4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Library and Information Officer.	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4600/-.	Selection.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh,

					Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelors degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or institute; (ii) Two years professional experience in a library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational institution. Desirable: (i) Masters degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or institute; (ii) Diploma in Computer application from a recognised University or institute. *Note 1*: Qualifications are relaxable at the discretion of the Unpion Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. *Note 2* : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age : No Educational qualification: But must possess Bachelor's degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or institute.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment.

(11)

Promotion:

Library and Information Assistant in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/- with five years regular service in the grade and successfully completed training of 2 to 4 weeks in the field of Library and Information Science.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short term contract):

Officers under the Central or State Government or Union Territory Administration or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations:

(a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department;

or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/- or equivalent in the parent cadre or department;

and

(b)possessing the educational qualifications and experience for direct recruits as mentioned in column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including the period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2 : For the purpose of appointment on deputation , the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommended has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Joint Secretary (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture and Cooperation —Chairman (2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture and Cooperation —Member (3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture and Cooperation —Member (4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute —Member Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Joint Secretary (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture and Cooperation —Member (2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture and Cooperation —Member (3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture and Cooperation —Member (4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute —Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short term contract).

[F. No. 13-4/2012-M&T (Admn)]

B. B. BHAGAT, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.